## निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 15 /अपील/19

घनश्याम आ0 काशीदास बैरागी निवासी गिन्दोर तहसील झालरापाटन(अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार तहसील झालरापाटन दिनांक 28.08.2019

उपस्थितः– पेरोकार सरकार

**–: निर्णय :–** **दिनांकः 18.11.2019**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन के आदेश दिनांक 28.08.2019 जो मिसल न0 13/19 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को ग्राम गिन्दोर तहसील झालरापाटन की आराजी ख0न0 33 की 1.10 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर 1000/– शास्ती आरोपित करते हुए 15 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एंव पत्रावली संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही देकर तथा स्वतन्त्र गवाहान के बयान नही लेकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए सजायाब किया है जो गलत है । निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निणय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट के न्यायालय हाजा में उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका। प्रकरण में वक्त सुनवाई पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर ही सजायाब किया गया है अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है उसके द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर उसे बेदखल किया गया था, अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था व अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अपीलान्ट द्वारा उस पर आरोपित शास्ती जमा नही करवाई गई है और ना ही उसके द्वारा सरकारी चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण ही हटाया गया है इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर ग्राम के पशुओं को चरागाह भूमि पर चरने से रोकने का प्रयास किया जाना साबित है व अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उपयुक्त नही है। उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन द्वारा मिसल न0 13/19 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2019 में हम किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । इस निर्णय के माध्यम से झालावाड़ जिले के समस्त तहसीलदारान को यह निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रकरणों में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की स्थिति में पूर्व में पारित निर्णय की मिसल नम्बर व निर्णय दिनांक का अंकन निर्णय पारित करते हुए करें साथ ही उक्त पूर्व में पारित निर्णय की प्रति भी अपने न्यायालय की पत्रावली में संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़